नकल आदेश दि० 23-2-10

(13)

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी सदर, कानपुर नगर।

वाद सं0– 101/09-10
अन्तर्गत धारा– 143 यू0पी0जेड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट।
ग्राम– पुरवामीर परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर।

एक्सिस एजूकेशनल सोसायटी

बनाम

उ0प्र0 सरकार आदि

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही एक्सिस एजूकेशनल सोसायटी द्वारा सचिव राज कुशवाहा पुत्र श्री रामआसरे कुशवाहा निवासी म0नं0 117/एन/88 काकादेव तहसील व जिला कानपुर नगर के प्रार्थनापत्र दिनांक–10.02.2010 के आधार पर प्रारम्भ की गयी, जिसमें कहा गया है, कि ग्राम–पुरवामीर की खाता सख्या–454 की आराजी संख्या–918/0.420, 919/0.533, 922मि/0.451, 941/0.072, 942मि/0.010, 943/0.256, 944/0.839, 945/0.031, 946/0.184, 947/0.092, 948/0.205, 949/0.143हे0 व खातासं0 464 की आराजी संख्या–942मि0 रकबा 0.113हे0 कुल 13 किता कुल रकबा 2.990हे0 वादी पक्ष की संक्रमणीय भूमिधर अधिकार वाली भूमि है, प्रश्नगत भूमि के किसी भी अंश पर कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है, उपर्युक्त भूमि कृषि कार्य के प्रयोग में नही लायी जा रही है, ऐसी दशा में भूमि का उपयोग अकृषिक/आवासीय दर्ज कराना चाहता है, ताकि आवश्यकता पडने पर उसका उपयोग कर सके।

प्रार्थनापत्र की जांच तहसीलदार सदर, कानपुर नगर से करायी गयी, तहसीलदार सदर ने अपनी जांच आख्या दिनांक– 20/02/2010 को प्रेषित करते हुये यह उल्लिखित किया है, मौजा पुरवामीर की खाता सख्या–454 की आराजी संख्या–918/0.420, 919/0.533, 922मि/0.451, 941/0.072, 942मि/0.010, 943/0.256, 944/0.839, 945/0.031, 946/0.184, 947/0.092, 948/0.205, 949/0.143हे0 व खातासं0 464 की आराजी संख्या– 942मि रकबा 0.113हे0 कुल 13 किता कुल रकबा 2.990हे0 संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है, जिसको वादी ने क्रय किया है, जिसका नामान्तरण आदेश उसके पक्ष में हो गया है, और खतौनी निर्माणाधीन होने के कारण विक्रेता के नाम अंकित है, भूमि पर वर्तमान समय में कृषि कार्य नहीं हो रहा है, और न ही भूमि पर कृषि कार्य/बागवानी/कुकुक्ट पालन/मत्स्य पालन आदि कार्य हो रहा है, तहसील आख्या में उक्त भूमि को अकृषिक/आवासीय घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। आख्या में ज0वि0नियमावली के नियम–135 के अन्तर्गत सूचना/विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा वादी पक्ष को सुना। पत्रावली पर प्रस्तुत आख्या दिनांक–20/02/2010 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि उक्त आराजी पर कृषि कार्य/बागवानी/कुकुक्ट पालन/मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है, एवं भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ विद्यमान है, उक्त भूमि को ज0वि0अधि0 की धारा–143 के अर्न्तगत अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

ग्राम–पुरवामीर की खाता सख्या–454 की आराजी संख्या– 918/0.420, 919/0.533, 922मि/0.451, 941/0.072, 942मि/0.010, 943/0.256, 944/0.839, 945/0.031, 946/0.184, 947/0.092, 948/0.205, 949/0.143हे0 व खातासं0 464 की आराजी संख्या– 942मि रकबा 0.113हे0 कुल 13 किता कुल रकबा 2.990हे0 को ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाता है, तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक–एक प्रति तहसीलदार सदर व सम्बन्धित उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु/सूचनार्थ भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

प्रतिलिपि कर्ता द्वारा
मिलान कर्ता

दिनांक– 23/2/2010

(प्रहलाद सिंह) 23.2
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी, कानपुर नगर।

नकल प्रार्थना पत्र का क्रमांक 3927
नकल प्रार्थना पत्र का दिनांक 23-2-10
आवेदक/प्रार्थी का नाम राज कुशवाहा
नकल तैयार होने का दिनांक 23-2-10
नकल जारी करने का दिनांक 23-2-10
शब्द 120
नकल टिकट 13
सत्य प्रतिलिपि
राजस्व अभिलेखागार कानपुर नगर